फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)

सचिन खंडेलवाल बनाम लालचंद
दीवानी वाद संख्या 46/12
सीआईएस 508/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.2025	श्री परमानन्द शर्मा, विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित। श्री इन्द्रेश के. रामचंदानी, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित। श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी दिनांकित 16.07.2025 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 सपठित आदेश 19 नियम 3 जाब्ता दीवानी दिनांकित 16.07.2025 सुनी गई। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 जाब्ता दीवानी पर विचार करें तो इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के दस्तावेजों को अपने आदेश दिनांकित 09.07.2025 द्वारा रिकोर्ड पर लिया गया हैं एवं वादीगण को इन दस्तावेजों के खंडन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था। वादीगण इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिन दस्तावेजों को रिकार्ड पर लाना चाहता है, वे दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए– 1- 2025 (2) DNJ (Raj) 618 Mahant Bheem Bharti vs General Public & Ors. 2- 2025 (2) DNJ (SC) 716 Muruganandam vs Muniyandi (Died) Thro' LR's इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध करते हुए निवेदन किया कि इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात मूल दस्तावेजात नहीं है, जिन्हें साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु भी आवश्यक नहीं है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थीगण/वादीगण जिन दस्तावेजों को रिकोर्ड पर	

	लाना चाहते हैं वह दस्तावेजात प्रतिवादी संख्या 01 लालचंद व उसकी फर्म शक्ति मेडिकल स्टोर से संबंधित है एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के जो दस्तावेजात अपने आदेश दिनांकित 09.07.2025 द्वारा रिकार्ड पर लिए गए हैं, वह उन्हीं से संबंधित है एवं हस्तगत प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु आवश्यक है। ऐसी स्थिति में इन दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। जहां तक इन दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राह्य किए जाने का प्रश्न है, यह बिंदु इस स्तर पर निर्णीत किये जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाता है। अब हम प्रतिवादी संख्या 1 (2)(2) मोहित की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 एवं 19 नियम 3 जाब्ता दीवानी पर विचार करें तो इस प्रार्थना पत्र की बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने जो शपथ पत्र दिनांक 23.05.2025 को प्रस्तुत किया है वह शपथ पत्र हुबहू वादपत्र की प्रति है। इसमें अंकित कथन वादी गवाह के निजी ज्ञान से साबित किए जाने योग्य नहीं है। वादी ने यह शपथ पत्र आदेश 19 नियम 3 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया है, ऐसी स्थिति में इस शपथ पत्र को पत्रावली के ''डी'' भाग में रखे जाने के आदेश दिए जावे एवं इस शपथ पत्र को साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए– 1- 2025 INSC 466 Annaya Kocha Shetty (Dead) Thr LRs vs Laxmibai Narayan Satose Thr LRS 2- 2022(3) CJ(Civ)(Raj) 1741 Manish Dharmavat & Anr vs Bhawar lal Jain & Ors. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया शपथ पत्र वादपत्र की हुबहू नकल नहीं है। प्रतिवादी ने केवल मात्र प्रकरण को विलंबित करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। आदेश 19 नियम 3 में यह उपबंधित किया गया है कि – वे विषय जिन पर शपथ पत्र सीमित होंगे–(1) शपथ पत्र ऐसे तथ्यों तक ही सीमित होंगे जिनको अभिसाक्षी अपने निजी ज्ञान से साबित करने में समर्थ हैं, किन्तु	

	अन्तर्वर्ती आवेदनों के शपथ पत्रों में उसके विश्वास पर आधारित कथन ग्राह्य हो सकेंगेः परंतु यह तब जब कि उनके लिए आधारों का कथन किया गया हो। (2) जिस शपथ पत्र में अनुश्रुत या तार्किक बाते या दस्तावेजों की प्रतियां या दस्तावेजों के उद्धरण अनावश्यक रूप से दर्ज किए गए हैं, ऐसे हर एक शपथ पत्र के खर्चे (जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न करे) उन्हें फाइल करने वाले पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे।'' इस संबंध में हस्तगत प्रकरण में वादी की ओर प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन करें तो इस शपथ पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की ओर से जो शपथ पत्र दिनांक 23.05.2025 को प्रस्तुत किया गया है, वह शपथ पत्र वादपत्र की हुबहू नकल नहीं है। अपितु इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य वादपत्र एवं प्रतिवादी द्वारा लिए गए उज्र व अन्य दस्तावेजों से संबंधित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने के कोई न्यायसंगत आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है। परिणामतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 20.08.2025 को पेश हो। (संदीप आनन्द)	